



# दिल्ली विकास प्राधिकरण



## पब्लिक नोटिस

श्री दीपक कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री खेम चन्द, चपरासी दिनांक 20.12.2013 से बिना किसी पूर्व सूचना एवं पुर्वानुमति के अनुपस्थित चल रहे है। इस बाबत उनको नोटिस दिनांक 15.05.2013, 22.10.2014 जारी किये गए थे लेकिन इनका कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था। तत्पश्चात उनकी सेवाएं समाप्त करने हेतु, दि० वि० प्रा० (आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील) विनियम, 1999 के विनियम 30क के उप विनियम (ग) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 23.12.2021 तथा अनुस्मारक नोटिस दिनांक 16.02.2022 उनके स्पष्टीकरण के लिए कार्यालय में उपलब्ध रिहायशी पतों पर भेजा गया परन्तु यह नोटिस उनके उन पतों पर उपलब्ध न होने के कारण वापिस आ गए है।

अतः श्री दीपक कुमार गौड़ इस कार्यालय से उपरोक्त नोटिस प्राप्त करके अपना स्पष्टीकरण प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा उनके खिलाफ उपरोक्त विनियम के तहत एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

**आयुक्त (कार्मिक)**

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) देखें या डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332